न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-1, गाजियाबाद।

विविध वाद संख्या 527/2022
गीता बनाम मौ. रहीस
मु. अप. संख्या 348/2022
धारा 363/366/506 भा. दं. स.
थाना लोनी, गाजियाबाद

27-10-2023

निस्तारण प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। वादिनी गीता द्वारा पुनः विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत प्रोटेस्ट प्रार्थना-पत्र पर विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

वादिनी मुकददमा गीता की ओर से मु. अप. संख्या 348/2022 अन्तर्गत धारा 363/366/506 भा. दं. स. थाना लोनी, गाजियाबाद मे प्रकरण के विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या दिनॉकित 2-6-2022 को निरस्त कर पुनः विवेचना कराये जाने हेतु यह प्रोटेस्ट प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आवेदिका की ओर से शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना-पत्र में आवेदिका द्वारा कथन किया गया है कि उक्त प्रकरण में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस थाना लोनी, गाजियाबाद ने अभियुक्त मौ. रहीस तथा उसके साथी जिनके सहयोग से मौहम्मद रहीस ने उपरोक्त अपराध की घटना को अंजाम दिया था, के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही किी, न ही गिरफतारी हुई है। पुलिस वालों द्वारा उसे बहुत धमकाया जाता है। विवेचक द्वारा आवेदिका के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं. प्र. सं. अंकित नही किये अपितु अपनी मर्जी से बयान लिख लिये तथा घटना के सम्बन्ध में उसके परिवार वालों के भी बयान नही लिये। अभियुक्त मौ. रहीस तथा उसके परिवार वालों चाचा संसार अली, फूफा इसरार अली आदि ने बंधक बना लिया तथा उसे भयभीत किया तथा उसकी बेटी को उसकी तथा उसके परिवार की हत्या करने की धमकी दी। विवेचक ने अभियुक्तगण से धन प्रभावित होकर अभियुक्तगण को बचाने की गर्ज से झूठा दर्ज किया। विवेचक द्वारा उक्त संगीन व संज्ञेय अपराध की घटना में अन्तिम आख्या लगा दी। आवेदिका को उक्त एफ. आर. पर घोर आपत्ति है। यथोक्त तथ्यो के आधार पर मामले में अग्रिम विवेचना कराये जाने की याचना की है।

प्रस्तुत मामले मे विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी है, जिसपर वादिनी मुकदमा द्वारा आपत्ति करते हुए पुनः विवेचना कराये जाने की याचना की गयी है।

उपरोक्त परिस्थितियों से स्पष्ट दर्शित हो रहा है कि विवेचक ने विवेचना में लापरवाही बरती गयी है। वादिनी विवेचक द्वारा की गयी विवेचना से असन्तुष्ट है। अतः उक्त परिस्थितियों में प्रस्तुत प्रकरण में अग्रिम विवेचना कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादिनी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा थाना से प्रेषित अन्तिम आख्या निरस्त की जाती है। तदनुसार थानाध्यक्ष थाना लोनी, गाजियाबाद को आदेशित किया जाता है कि वह मु. अप. संख्या 348/2022 अन्तर्गत धारा 363/366/506 भा. द. स. में अग्रिम विवेचना कर आख्या अविलम्ब न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या-1, गाजियाबाद।